



कार्यालय बीकानेर विकास प्राधिकरण बीकानेर

क्रमांक:-बीडीए/आयोजना शाखा/2025-26/

दिनांक:- 05/12/2025

मैसर्स श्री गणेश इन्फ्रा हाईट्स
जरिये डायरेक्टर श्री सुनिल कुमार
पुत्र श्री गणेश राम सोनी
निवासी- 17, सुरजपुरा कॉलोनी,
बीकानेर।

विषय:- ग्राम उदासर खसरा नं. 376/198, 378/199, 380/200 में कुल तादादी 1.1239
हैक्टेयर भूमि के ले-आऊट मानचित्र के संबंध में।
प्रसंग:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 03.08.2023 के संबंध में।

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है कि ग्राम उदासर खसरा नं. 376/198, 378/199, 380/200 में कुल तादादी 1.1239 हैक्टेयर भूमि श्री गणेश एनक्लेव फेज-II योजना का ले-आऊट, ले-आऊट मानचित्र कमेटी की बैठक दिनांक 11.09.2025 को स्वीकृत किया जा चुका है। उपरोक्त आवासीय योजना की रूपान्तरण राशि का कुल 40 प्रतिशत 8,33,760/-, 60 प्रतिशत शुल्क 12,50,639/-, लीजमनी, बाह्य विकास शुल्क व अन्य देय शुल्क 41,92,362/- की राशि कुल योग 62,76,761/- दिनांक 18.11.2025 के द्वारा प्राधिकरण कोष में जमा हो चुके है। उक्त ले-आऊट मानचित्र की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

01. योजना धारक द्वारा दिये गये क्षतिपूर्ति बंधक पत्र अनुसार इस ले-आऊट मानचित्र योजना के आन्तरिक विकास का सम्पूर्ण कार्य गुणवत्ता के अनुसार योजना धारक द्वारा स्वयं करवाया जावेगा।
02. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 26.06.2010 (राजस्थान टाऊनशिप योजना 2010) तथा अधिसूचना दिनांक-10.08.2020 में उल्लेखित शर्तों एवं समय-समय पर होने वाले विभागीय आदेशों की पालना हेतु पाबंद रहेगा तथा ले-आऊट मानचित्र में लाल रंग दर्शाये गये भूखण्ड सं. 03, 09, 13, 21 एवं 28 यानि कुल 05 भूखण्ड प्राधिकरण में रहन रहेगे उक्त भूखण्डों को रहन मुक्त किये जाने के उपरान्त योजना धारक विक्रय कर सकेगा।
03. स्वीकृत ले-आऊट मानचित्र में सुविधा क्षेत्र (सड़क, खुली भूमि, स्कूल, अस्पताल, पार्क आदि) पर प्राधिकरण का स्वामित्व रहेगा।
04. टाऊनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार योजना में पेयजल, सिवरेज, विद्युत से संबंधित सम्पूर्ण व्यवस्था योजना धारक के स्तर पर पूर्ण की जावेगी, साथ ही संबंधित विभाग द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु जारी मांगपत्र की राशि योजना धारक के स्तर से संबंधित विभाग को जमा करवाई जानी होगी।
05. उक्त योजना में रूपान्तरण राशि, लीजमनी, बाह्य विकास शुल्क इत्यादि के संबंध में ऑडिट दल द्वारा अगर किसी प्रकार की कोई राशि बकाया निकलती है तो जमा कराने हेतु पाबंद रहेगा।
06. स्वीकृत योजना मानचित्र प्राप्त होने के पश्चात् रैरा रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य होगा व रैरा रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही पट्टा विलेख जारी किये जावेगे। इसी क्रम में योजना में सृजित भूखण्डों के आवंटन पत्र व मानचित्रों में रैरा रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

संलग्न:- ले-आऊट मानचित्र।

सचिव
बीकानेर विकास प्राधिकरण
बीकानेर

क्रमांक:-बीडीए/आयोजना शाखा/2025-26/
प्रतिलिपि:-

दिनांक:-

1. वरिष्ठ प्रारूपकार को प्रेषित कर लेख है कि योजना के स्वीकृत ले-आऊट मानचित्र अनुसार भूखण्डों पर भवन विनियम-2025 अनुसार सैटबैक का निर्धारण एवं पत्र के बिन्दु संख्या 06 में वर्णित योजना के रैरा रजिस्ट्रेशन उपरान्त ही मानचित्र तैयार किया जाना सुनिश्चित करावें।
2. संबंधित लिपिक को पत्र एवं स्वीकृत ले-आऊट मानचित्र संलग्न प्रेषित कर लेख है कि योजना का रैरा में रजिस्ट्रेशन होने के उपरान्त एवं योजना धारक द्वारा जारी आवंटन पत्र में रैरा रजिस्ट्रेशन का अंकन होने के उपरान्त ही योजना के भूखण्डों की लीजडीड जारी की जानी सुनिश्चित करावे।

सचिव
बीकानेर विकास प्राधिकरण

Signature valid

Digitally signed by RajKaj Meena
Designation: Secretary
Date: 2025.12.05 10:00:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19204051
eSign 1.0



